लो घेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाको गाउँसभामा

गाउँपालिका उपाध्यक्ष श्री छिरिङ ल्हामो गुरुङ द्धारा प्रस्तुत

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को

# अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, २०८३

लो-घेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

चराङ, मुस्ताङ

गण्डकी प्रदेश

विक्रम संवत् २०८३ साल असार ८ गते

**लो-घेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, २०८३**

प्रस्तावनाः लो-घेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्नको निमित्त स्थानीय कर तथा शुल्क संकलन गर्ने, छुट दिने तथा आय संकलनको प्रशासनिक व्यवस्था गर्न बाञ्छनीय भएकोले,

नेपालको संविधानको धारा २२८ को उपधारा २ बमोजिम लो-घेकर दामोदरकुण्ड गाउँ सभाले यो ऐन बनाएको छ।

१. **संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः** क) यस ऐनको नाम "आर्थिक ऐन, २०८२ रहेको छ।

ख) यो ऐन २०८३ साल श्रावण १ गते देखि लो-घेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका क्षेत्रमा लागु हुनेछ।

२. **सम्पति करः** यस गाउँपालिका क्षेत्रभित्र अनुसूची १ बमोजिम एकिकृत सम्पति कर/घरजग्गा कर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ।

३. **भूमि कर (मालपोत):** गाउँपालिका क्षेत्रभित्र अनुसूची २ बमोजिम भूमि कर (मालपोत) लगाइने र असूल उपर गरिनेछ।

४. **घर वहाल करः** गाउँपालिका क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले भवन, घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, छप्पर, जग्गा वा पोखरी पूरै आंशिक तवरले वहालमा दिएकोमा अनुसूची ३ बमोजिम घर जग्गा वहाल कर लगाइने र असूल गरिनेछ।

५. **व्यवसाय करः** गाउँपालिका क्षेत्रभित्र व्यापार, व्यवसाय वा सेवामा पूँजीगत लगानी र आर्थिक कारोवारका आधारमा अनुसूची ४ बमोजिम व्यवसाय कर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ। आगामी आ.व. २०८३/८४ मा यस गाउँपालिकामा दर्ता हुन आउने व्यवसायहरुलाई प्रोत्साहन बापत एक पटकको लागि व्यवसाय करमा ५०% छुटको व्यवस्था गरिनेछ।

६. **जडिबुटी, कवाडी र जीवजन्तु करः** गाउँपालिका क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले ऊन, खोटो, जडिबुटी, वनकस, कवाडी, माल र प्रचलित कानूनले निषेध गरिएको जीवजन्तु वाहेकका अन्य मृत वा मारिएका जीवजन्तुको हाड, सिङ, प्वाँख, छाला

जस्ता बस्तुको व्यवसायिक कारोवार गरेवापत अनुसूची ५ बमोजिमको कर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ। तर संरक्षित क्षेत्रको लागि आकर्षित हुने कानून बमोजिम हुने कुराहरु सोहि बमोजिम हुनेछ।

७. **सवारी साधन करः** गाउँपालिका क्षेत्रभित्र दर्ता भएका सवारी साधनमा अनुसूची ६ बमोजिम सवारी साधन कर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ। तर प्रदेश कानून स्वीकृत भई सो कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थामा सोहि बमोजिम हुनेछ।

८. **विज्ञापन करः** गाउँपालिका क्षेत्रभित्र हुने विज्ञापनमा अनुसूची ७ बमोजिम विज्ञापन कर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ। तर प्रदेश कानून स्वीकृत भई सो कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थामा सोहि बमोजिम हुनेछ।

९. **मनोरन्जन करः** गाउँपालिका क्षेत्रभित्र हुने मनोरन्जन व्यवसाय सेवामा अनुसूची ८ बमोजिम व्यवसाय कर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ। तर प्रदेश कानून स्वीकृत भई सो कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थामा सोहि बमोजिम हुनेछ।

१०. **बहाल बिटौरी शुल्कः** गाउँपालिका क्षेत्रभित्र आफुले निर्माण, रेखदेख वा संचालन गरेका अनुसूची १ मा उल्लेख भए अनुसार हाट बजार वा पसलमा सोहि अनुसूचीमा भएको व्यवस्था अनुसार बहाल बिटौरी शुल्क लगाइने र असूल उपर गरिनेछ।

११. **पार्किङ शुल्कः** गाउँपालिका क्षेत्रभित्र कुनै सवारी साधनलाई पार्किङ सुविधा उपलब्ध गराए वापत अनुसूची १० बमोजिम पार्किङ शुल्क लगाइने र असूल उपर गरिनेछ।

१२. **ट्रेकिङ्ग, कायाकिंग, क्यानोइङ्ग, बन्जी जम्पिङ्ग, जिपफ्लायर र र्याफ्टीङ्ग शुल्कः** गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र ट्रेकिङ्ग, कायाकिंग, क्यानोइङ्ग, बन्जी जम्पिङ्ग, जिपफ्लायर र र्याफ्टीङ्ग सेवा वा व्यवसाय संचालन गरेवापत अनुसूची ११ बमोजिम शुल्क लगाइने र असुल उपर गरिनेछ।

१३. **सेवा शुल्क, अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क र अन्य दस्तुरः** गाउँपालिकाले निर्माण, संचालन वा व्यवस्थापन गरेका स्थानीय पूर्वाधार उपयोग वापतको शुल्क,

कार्यालयबाट उपलब्ध गराइएको सेवामा अनुसूची १२ मा उल्लिखित व्यवस्था भए अनुसार शुल्क लगाइने र असूल उपर गरिनेछ।

१४. **पर्यटन शुल्कः** गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र प्रवेश गर्ने पर्यटकहरुबाट अनुसूची १३ मा उल्लिखित दरमा पर्यटन शुल्क लगाइने र असुल उपर गरिनेछ। तर प्रदेश कानून स्वीकृत भई सो कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थामा सोहि बमोजिम हुनेछ।

१५. **कर छुटः** यस ऐन बमोजिम कर तिर्ने दायित्व भएका व्यक्ति वा संस्थाहरुलाई कुनै पनि किसिमको कर छुट दिईने छैन।

१६. **कर तथा शुल्क संकलन सम्बन्धि कार्यविधिः** यो ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार कर तथा शुल्क संकलन सम्बन्धि कार्यविधि गाउँपालिकाले तोके अनुसार हुने छ।

अनुसूची १ सम्पत्ती कर/घरजग्गा करः संघ प्रदेश तथा गाउँपालिकाले निर्माण गरेको कानून बमोजिम अनुसूची २ भूमी करः

| **राजस्व संकेत** | **शिर्षक** | **दर** | **कैफियत** |
|---|---|---|---|
| ११३१४ | भूमि कर/मालपोत | प्रति रोपनी रु ५० | जग्गाको क्षेत्रफल नजिकको अंकमा शुन्यान्तर गरी रोपनी निकाली कर रकम हिसाव गरिने |
| ११३१५ | भूमि कर जरिवाना | २० प्रतिशत | एक वर्षभित्रको अवस्थामा |
| ११३१६ | भूमि कर जरिवाना | ३० प्रतिशत | एक वर्षपछिको अवस्थामा |

अनुसूची ३ घर बहाल कर

| **राजस्व संकेत** | **शिर्षक** | **दर** | **कैफियत** |
|---|---|---|---|
| ११३२१ | घर बहाल कर | बहाल रकमको १० प्रतिशत | संघीय सरकारले तोकेको दर बमोजिम |

अनुसूची ४ व्यवसाय करः

व्यवसाय कर प्रति वर्ष निम्नानुसार हुनेछः

क. होटेल व्यवसाय करः कार्यविधि बमोजिम हुनेछ ।

ख. पसल व्यापारः कार्यविधि बमोजिम हुनेछ ।

ग. डिस्टीलरी उद्योगः कार्यविधि बमोजिम हुनेछ ।

घ. कृषि व्यवसायः व्यावसायिक कारोवारको स्वघोषणाको आधारमा कर लिइनेछ।

भेडा च्याङ्ग्रा प्रति गोटा रु १०।-

याक प्रति गोटा रु १००।-

स्याउ प्रति केजी रु १।-

अनुसूची ५ जडीबुटी कवाडी र जीवजन्तु करः संरक्षण क्षेत्र सम्बन्धी संघीय कानून वा प्रदेश कानून बमोजिम

अनुसूची ६ सवारी साधन करः प्रदेश कानून र निर्णय बमोजिम हुनेछ ।

अनुसूची ७ विज्ञापन करः प्रदेश कानून र निर्णय बमोजिम हुनेछ ।

क. गाउँपालिकाले विज्ञापनहरु राख दिने निर्णय पश्चात गाउँसभाको निर्णय बमोजिम करको दर निर्धारण हुने

ख. प्रदेश कानून र निर्णय बमोजिम

अनुसूची ८ मनोरन्जन करः

क. गाउँपालिकाले मनोरन्जनस्थल निर्माण पश्चात गाउँसभाको निर्णय बमोजिम करको दर निर्धारण हुने

| सि.नं | विवरण | दर | कै. |
|---|---|---|---|
| १ | स्वदेशि ठुलो पर्दाको चलचित्र छायाँकन | रु १०००० | एक पटकको लागि |
| २ | स्वदेशि टेली चलचित्र छायाँकन | रु ५००० | एक पटकको लागि |
| ३ | विदेशि चलचित्र छायाँकन | रु २०००० | एक पटकको लागि |

ख. प्रदेश कानून र निर्णय बमोजिम

अनुसूची ९ बहाल बिटौरी करः

क. मेला महोत्सवमाः निर्माण गरी व्यापर व्यवसाय गरे वापत बहाल रु ५०० देखि २००० सम्म (आर्थिक कारोवार स्वघोषणा समेत आधार मानी गाउँ कार्यपालिकाले यो सिमाभित्र रही तोकिदिन सक्ने)

ख. गाउँपालिकाको स्वामित्वमा रहेको जग्गा वा भवन वा अन्य बहाल बिटौरी जाने भएमा गाउँसभाको निर्णय बमोजिम हुनेछ

अनुसूची १० पार्किङ शुल्कः प्रति ट्रक रु २००

प्रति जीप रु १०० (कालो नम्बर प्लेट) र २०० (अन्य नम्बर प्लेट)

प्रति टयाक्टर रु १००।

अनुसूची ११ ट्रेकिङ्ग, कायाकिंग, क्यानोइङ्ग, बन्जी जम्पिङ्ग, जिपफ्लायर र र्याफ्टीङ्ग शुल्कः प्रदेश तथा संघीय कानून र गाउँपालिकाले संरचना निर्माण गरे पश्चात गाउँसभाको निर्णय बमोजिम हुनेछ ।

अनुसूची १२ सेवा शुल्क, अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क र अन्य दस्तुरः

क. सेवा शुल्कः गाउँपालिकाले सो प्रकारको पूर्वाधार निर्माण गरे पश्चात

ख. अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क र अन्य दस्तुरः निम्नानुसार हुनेछः

| **शिर्षक** | **दर** |
|---|---|
| सामान्य सिफारिस | रु ५००।- |
| आय तथा सम्पत्ती प्रमाणित, मुल्याकन | न्यूनतम रु १००० र अधिकतम ०.५ प्रतिशत |
| अंग्रेजीमा सामान्य सिफारिस तथा प्रमाणित | रु १०००।- |
| चारकिल्ला सिफारिस | रु ५००।- |
| घरबाटो घरकायम सिफारिस | रु १०००।- |
| सेवा जडान सिफारिस | रु ५००।- |
| जन्म मिति प्रमाणित | रु १०००।- |
| विवाहिता तथा अविवाहिता प्रमाणित | रु १०००।- |
| मृत्यु प्रमाणित | रु ५००।- |
| सर्जमिन मुचुल्का | रु ५००।- |
| कर चुक्ता प्रमाणपत्र सिफारिस | रु ५००।- |
| बैदेशिक रोजगार प्रमणित | रु २०००।- |
| मेला, खेलकुद सञ्चालन अनुमित | रु २५००।- |
| कन्सुलर प्रमाणित | रु १०००।- |
| नक्सा पास वापत | प्रति स्क्वार फिट रु ५।- |
| जग्गा नामसारि | रु १०००।- |

| | |
|---|---|
| चार किल्ला प्रमाणित | प्रति कित्ता रु ५००।- |
| कित्ताकाट सिफारिस | रु १०००।- |
| अशंवण्डा सिफारिस | प्रति रोपनि रु ५००।- |
| कवाडी संकलन | प्रति केजि रु २।- |
| जडिबुटि निकासी कर | प्रति केजि रु ३०।- |
| प्यान भ्याट दर्ता | रु १०००।- |
| प्यान भ्याट बन्द सिफारिस | रु १०००।- |
| खानेपानी मुहान नविकरण अनुमती | रु ५००।- |
| हकवाला प्रमाणित | रु ५००।- |
| नागरिकता प्रमाणपत्र लिने सिफारिस | रु ५००।- |
| नाबालिक परिचयपत्र सिफारिस लिने | रु १०००।- |
| नागरिकता प्रतिलिपी लिने वा सच्याउने | रु ५००।- |
| अंगिकृत नागरिकता सिफारिस | रु ५०००।- |
| नाता प्रमाणित | रु ५००।- |
| व्यक्तिगत घटना दर्ता विलम्व शुल्क | रु १०००।- |
| व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रतिलिपि शुल्क | रु ५००।- |
| व्यक्तिगत घटना दर्ता शंशोधित प्रतिलिपि शुल्क | रु १०००।- |
| कागजात प्रतिलिपी निवेदन दस्तुर | रु ५००।- |
| नाम थर प्रमाणित, जन्म मिति संशोधन सिफारिस | रु ५००।- |
| माथि उल्लेखित बाहेक अन्य प्रमाणित र सिफारिस भए | रु १०००।- |
| पालिका बाहेकमा कृषक समूह समूह दर्ता र नविकरण | रु ५००।- |
| कृषक समूह दर्ता | रु १०००।- |
| कृषक समूह नविकरण | रु ५००।- |
| पालिका बाहेकमा व्यवसाय दर्ता र नविकरण सिफारिस | रु १०००।- |
| पालिका बाहेकमा संस्था दर्ता र नविकरण सिफारिस | रु १०००।- |
| पालिकामा संस्था दर्ता र नविकरण | रु १०००।- |
| साधारण निवेदन तथा परिक्षा आवेदन शुल्क | रु १०००।- |
| बसोबास तथा बसाइसराइ सिफारिस | रु ५००।- |
| बसोबास प्रमाणित | रु १०००।- |
| याक र चाङग्राको आलो मासु निकासी प्रति के जी | रु १००।- |

| | |
|---|---|
| याक र चाङग्राको सुकुटी मासु निकासी प्रति के जी | रु ५००।- |
| बोर्डर पास सिफारिस तथा नविकरण | रु ५००।- |
| अन्य सिफारिस | रु ५००।- |
| विपन्न विद्यार्थी छात्रवृत्ति प्रमाणीत सिफारिस | निशुल्कः |
| अपाङ्ग प्रमाणित सिफारिस | निःशुल्क |
| जेष्ठ नागरिक एकल महिला ,सिफारिस | निःशुल्क |
| सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने लाभग्राहीलाई परिचयपत्र पाउँ सिफारिस | निशुल्कः |
| सार्वजनिक संस्थालाई दिईने सिफारिस | निशुल्कः |
| विपन्न नागरिक उपचार सिफारिस | निःशुल्क |

| सि.नं. | विवरण | दर्ता/अनुमती | नविकरण | कैफियत |
|---|---|---|---|---|
| १ | १० देखि माथि कोठा भएका होटलहरू | रु १०००० | रु ५००० | |
| २ | ६ देखि ९ कोठासम्म भएका होटलहरू | रु ७००० | रु ३००० | |
| ३ | ५ कोठासम्मको होटेल | रु ५००० | रु २००० | |
| ४ | होलसेल किराना पसलहरू | रु ५००० | रु ३००० | |
| ५ | किराना पसलहरू | रु ३००० | रु ३००० | |
| ६ | सोविएनेर पसल | रु ५००० | रु ३००० | |
| ७ | फ्रेस हाउस | रु ४००० | रु ३००० | |
| ८ | ईलेक्ट्रोनिक्स तथा इलेक्ट्रिकल पसल | रु ३००० | रु २००० | |
| ९ | टेलर, सैलुन,साइवर | रु १००० | रु ५०० | |
| १० | घ वर्गको निर्माण व्यवसाय दर्ता/नविकरण | रु १५००० | रु १०००० | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ११ | चियापसल, रेष्टुरेण्ट, खुद्रा पसल, स्टेशनरी तथा विभाजनमा नपरेका अन्य सबै साना व्यवसायहरू | रु २500 | रु 1000 | |
| १२ | ट्याक्टर/ट्रक ढुवानी सेवा | रु १५०० | रु १००० | |
| १३ | थ्रेसर,कुटानी पिसानी मिलहरु | रु १५०० | रु १००० | |
| १४ | ब्लक उद्योग, ग्यारेज, शोरुम, ग्रिल उद्योग | रु ५000 | रु ४000 | |
| 15 | फर्निचर उद्योगहरु/ ”स”मिल  व्यवसाय | रु ५000 | रु ४000 | |
| 16 | बैङ्किङ तथा वित्तिय कारोवार गर्ने संस्था | रु २०००० | रु १०००० | |
| १7 | लघु, घरेलु र साना उधोग दर्ता | रु २००० | रु १००० | |
| १८ | अन्य | रु २००० | रु १००० | |

अनुसूची १३ पर्यटन शुल्कः प्रदेश तथा संघीय कानून बमोजिम